न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 47/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
शैतानराम पुत्र डालाराम जाति जाट निवासी जायल तहसील जायल जिला नागौर।		राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का जायल तहसील जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भोपालसिंह राठौड अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 22.09.2023

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 145/2021 सरकार बनाम शैतानराम में निर्णय दिनांक 20.12.21 के तहत मौजा जायल की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.10.22 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 21.10.22 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार जायल के प्रकरण संख्या 145/21 सरकार बनाम शैतानराम के फर्द अहकाम 20.09.21 से 20.12.21 की फोटोप्रति, पटवारी रिकोर्ड की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 20.12.21 की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति, ग्राम जायल की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 76 की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति–3, ग्राम जायल की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 76 की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जायल द्वारा रेस्पोडेट पटवारी हल्का जायल द्वारा पेश रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 20.09.21 को एक पक्षीय निर्णय अपीलांट के विरूद्व पारित किया गया जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं रही ना ही अपीलांट को किसी प्रकार से कोई नोटिस प्राप्त हुआ ना ही अपीलांट के मकान पर कोई नोटिस की चस्पानगी की गई। अपीलांट को दिनांक 14.09.22 को पटवारी हल्का जायल ने जानकारी दी कि तुम्हे अतिक्रमी घोषित किया जाकर निर्णय पारित किया गया है जिसपर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी कर निर्णय व पत्रावली की नकल बाबत् आवेदन पेश किया जिस पर न्यायालय तहसीलदार जायल से अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 15.09.22 को प्राप्त हुई जिसपर अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 15.09.22 को होने से अपील अन्दर मयाद जानकारी की तिथि से पेश की गई।, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.21 विधिविरूद्व एवम् प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त/संशोधित/परिवर्तित किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 20.12.21 में अपीलांट के घर पर नोटिस चस्पा होने के तथ्य प्रकट करते हुये अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई नोटिस अपीलांट के घर पर चस्पा करने का प्रमाण स्वरूप नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से द्वेषतापूर्ण अपीलांट को क्षति कारित करने के आशय से बिना किसी नोटिस के द्वारा अपीलांट को सूचना दिये बिना एकपक्षीय कार्यवाही निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व एवम् न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण एवम् मनमानी कार्यवाही को

अपर कलक्टर, नागौर

दर्शित करने वाला निर्णय होने से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.12.21 अपास्त/संशोधित/परिवर्तित किये जाने योग्य है।

{2}(III)–रेस्पोडेंट ने खसरा नम्बर 1424 मौजा जायल में अपीलांट का कब्जा दीवार व कमरा बनाकर किये होने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की परन्तु अपीलांट का कब्जा गैर मुमकिन औरण भूमि में कब्जा किन पडौस के बीच में व अतिचार की गई भूमि की लम्बाई चौडाई के संबंध में किसी प्रकार से कोई अंकन नहीं है तथा अपीलांट जो गांव जायल का प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है कि छवि को भूमिल करने के आशय से गलत तथ्यो की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी किसी प्रकार से कोई साक्ष्य अभिलिखित किये बिना एवं बिना अपीलांट को सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निर्णय अपास्त/संशोधित/परिवर्तित किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अपीलांट की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 3174/1081 रकवा 0.9712 हैक्टेयर मौजा जायल में स्थित रही जो वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री शिक्षण संस्थान नाम दर्ज खातेदारी भूमि होकर बच्चो के शिक्षण के रूप में संस्था संचालित है। उक्त भूमि के चिपते दक्षिण में खसरा नम्बर 1166 गैर मुमकिन रास्ता अवस्थित होकर अब वर्तमान में खसरा नम्बर 1166 की भूमि पर डामर सडक निर्मित होकर आवागमन के उपयोग–उपभोग में हो रही है तथा खसरा नम्बर 1166 के दक्षिण में अनेक लोगो के आवासीय मकान होकर पूरा क्षेत्र आबाद है अपीलांट ने किसी भी प्रकार से खसरा नम्बर 1424 के किसी भाग पर गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 1166 से दक्षिण में किसी प्रकार से न तो कभी अतिचार किया ना ही अपीलांट का कोई खसरा नम्बर 1166 के दक्षिण में आम सडक दक्षिण में कोई अतिचार आज दिन है जिससे अपीलांट के विरूद्व मनमाने ढंग से गलत अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश होकर अपीलाधीन आदेश बिना किसी जांच व साक्ष्य सबूत के पारित किये जाने से अपास्त/संशोधित/परिवर्तित किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा जायल में स्थित गैर मुमकिन औरण पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 145/2021 सरकार बनाम शैतानराम में निर्णय दिनांक 20.12.21 के तहत मौजा जायल की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है परन्तु नोटिस चस्पानगी पर दो गवाहो के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे यह ज्ञात होता है कि अपीलांट की विधिवत तामिल नहीं हुई है तथा अधीनस्थ न्यायालय की सुनवाई के दौरान अपीलांट उपस्थित रहा हो, ऐसा अभिलेख से प्रकट नही है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील अपीलांट की पर्याप्त सुनवाई के अभाव मे इकतरफा पारित हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जायल द्वारा मौजा जायल के प्रकरण संख्या 145/2021 सरकार बनाम शैतानसिंह निर्णय दिनांक 20.12.21 अपास्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को पुनःप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को पर्याप्त सबूत, शहादत व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर